Recommendation of Government of Maharashtra regarding Zudpi Jungle

1831. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the recommendation made by the Government of Maharashtra to the Government of India in the matter of the 'Zudpi Jungle' in the Vidarbha region of Maharashtra;

(b) what is the response of Government thereto; and

(c) when the decision will be taken on this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) and (b) The issue of 'Zudpi Jungle' was discussed in details with the State Government in January 1992 and in pursuant to these discussions, detailed guidelines were issued by the Ministry on 12.2.92 regarding these areas. As per these quidelines land shown as 'Zudpi Jungle' in revenue records will continue to be treated as forest land under Forest (Conservation) Act, 1980. The State Government however, requested for exclusion of certain category of areas of 'Zudpi Jungle' from the purview of Forest (Conservation) Act, 1980, It was made clear to the State Government in the guidelines of 1992 and also by another committee constituted on 'Zudpi Jungle' in 1996 by the Ministry, that for exclusion of those part of 'Zudpi Jungle' which have already been used for certain non-forestry purpose in the past, but corresponding entries have not been made in revenue records, specific proposals will be sent by the State Government for approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980.

(c) Formal proposals under the Forest (Conservation) Act, 1980, as mentioned above have not been received from the State Government so far. Therefore, the question of taking a final decision on the issue of 'Zudpi Jungle' areas does not arise.

वनरोपण के संबंध में उपायों संबंधी सुझाव देने वाली समितियां

1832. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ समितियों का गठन कर उनसे कुल भूमि के एक-तिहाई भाग पर वनरोपण के संबंध में उनके सुझाव मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने सरकार को अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक समिति की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने प्रत्येक समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) जी, हां। सरकार ने वनीकरण नीतियों और बंजरभूमि की पुनःस्थापना की समीक्षा करने के लिए श्री ए॰ के॰ मुखर्जी, वन महानिरीक्षक (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:—

1. वनीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा देश में वनीकरण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए अर्थोपायों के साथ-साथ वित पोषण में वृद्धि के उपायों का सुझाव देना।

2. वनीकरण प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के मौजूदा संस्थागत प्रबंधों की समीक्षा करना तथा बेहतर कार्यक्षमता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त फेरबदल करने के बारे में सुझाव देना।

3. देश में संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संयुक्त वन प्रबन्धन संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परिवर्तन के लिए सुझाव देना।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31.1.98 को प्रस्तुत की थी।